नगर निगम, अहमदाबाद और अन्य

बनाम

जान मोहम्मद उस्मान भाई और एक अन्य

(17 अप्रैल, 1986)

(न्यायमूर्ति ओ० चिन्नप्पा रेड्डी, ई० एस० वेंकटरामय्या, बी० बालकृष्ण एराडी, आर० बी० मिश्र और वी० खालिद)

संविधान, 1950—अनुच्छेद 19(1)(छ), 19(6) और 226 [सपठित बॉम्बे प्राविन्शियल म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट, 1949 (1949 का 59) की धारा 466(1)(डी)(बी)]—कारबार या उपजीविका करने के मूल अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बन्धन—म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा म्युनिसिपल स्लॉटर हाउसों (बूचड़खानों) को दो स्थायी आदेशों में उल्लिखित कतिपय दिवसों को अवकाश के रूप में घोषित किया जाना—प्रत्यर्थियों द्वारा उक्त स्थायी आदेशों की विधिमान्यता को चुनौती दी जानी—यदि म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा नगर के बूचड़खानों को कतिपय दिवसों को बन्द रखना चुना जाता है, तो प्रत्यर्थी के कारबार या व्यापार पर इस प्रकार अधिरोपित निर्बन्धन लोक हित में होने के कारण अयुक्तियुक्त और असांविधानिक नहीं होगा।

संविधान, 1950—अनुच्छेद 14 [सपठित बॉम्बे प्राविन्शियल म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट, 1949 (1949 का 59) की धारा 466(1)(डी)(बी)]—वर्गीकरण विषयक सुबोधगम्य अन्तर—पशुधन के परिरक्षण, सुरक्षा और सुधारों के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा स्थायी आदेश किए जाने—उन वधिकों का, जो पशुओं का वध करते हैं, अपनी उपजीविका के आधार पर एक सुपरिभाषित वर्ग है—इस प्रकार का वर्गीकरण एक सुबोधगम्य अंतर पर आधारित है जो कि उनको अलग करता है जो बकरियों और भेड़ों का वध करते हैं और इस अंतर का प्राप्त किए जाने वाले ईप्सित उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है—चूंकि स्थायी आदेशों द्वारा

1986(4) eILR(PAT) SC 1

किया गया वर्गीकरण उचित और सुबोधगम्य अंतर पर आधारित है, अत: वे स्थायी आदेश सांविधानिक हैं।

प्रत्यर्थी गो-मांस का व्यवहारी है जिसकी अहमदाबाद नगर में दुकान है। उसका मामला यह है कि वह नगर निगम के स्वामित्व वाले स्लाटर हाउस (बूचड़खाने) में अपने पशुओं का वध कराता है। नगर निगम ने 18 जुलाई, 1957 को बाजारों और बूचड़खानों से संबद्ध उपविधियां विरचित की थीं और इन उपविधियों को मुम्बई सरकार, जैसे कि उस समय थी, द्वारा मंजूरी दी गई थी। बाम्बे प्राविन्शियल म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 466(1)(डी)(बी) म्युनिसिपल कमिश्नर को अधिनियम और नियमों और उपविधियों के उपबंधों से संगत स्थायी आदेश बनाने की शक्ति प्रदत्त करती है। ऐसी शक्तियों में से एक शक्ति ऐसे दिवसों और घण्टों को नियत करने के विस्तार तक है जिसके दौरान कोई बाजार, बूचड़खाना या स्टाकयार्ड उपयोग के लिए खुला रखा जा सकेगा और वर्ष 1956 में म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा चार दिनों को अवकाश के रूप में नियत करते हुए एक स्थायी आदेश किया गया था जिसको नगर का बूचड़खाना बन्द रहेगा। स्थायी आदेश में संशोधन द्वारा 17 दिसम्बर, 1965 को एक संशोधन प्रभावित किया गया और इस प्रकार से एक वर्ष में सात दिवसों की कुल सूची बनाते हुए, जिसको नगर का बूचड़खाना बन्द रहता था, तीन और दिन जोड़े गए थे। प्रत्यर्थी ने बाम्बे प्राविन्शियल म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 466(1)(डी)(बी) के अधीन विरचित दो उपर्युक्त स्थायी आदेशों की विधिमान्यता को संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(छ) के अतिक्रमणकारी होने के रूप में स्थायी आदेशों में दिए गए सात दिनों को बूचड़खानों के बन्द रहने के निदेश को चुनौती दी क्योंकि बूचड़खानों के बन्द रहने से उसके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था क्योंकि स्थायी आदेशों में विनिर्दिष्ट इन सात दिनों को बूचड़खाने में पशु प्रविष्ट नहीं किए जा सके थे और इसलिए वह अपनी गो-मांस की दुकान के लिए उन पशुओं की मीट प्राप्त नहीं कर सकता था। ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका के प्रस्तुत करने के समय संशोधित स्थायी आदेश में बूचड़खाने में अवकाश की सूची में तीन और दिनों को जोड़ने के लिए दिन के प्रकाश को नहीं देखा गया था। किंतु अहमदाबाद की नगर निगम ने 18 जनवरी, 1965 को एक संकल्प पारित किया था जिसके द्वारा बूचड़खाने के लिए अवकाश की सूची में तीन और दिन जोड़े गए थे। याची ने यह अभिवचन किया कि नगर के बूचड़खाने को किसी क्षेत्र में किसी विशेष दिवस को बन्द

रखने की शक्ति म्युनिसिपल कमिश्नर में निहित है और ऐसी शक्ति का प्रयोग म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा उचित रूप से जारी किए गए और प्रख्यापित स्थायी आदेश द्वारा किया जा सकता था। किंतु रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा बाम्बे प्राविन्शियल म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट की धारा 466(1)(डी)(बी) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 सितम्बर, 1965 को एक नया स्थायी आदेश किया गया था जिसके द्वारा बूचड़खानों को बन्द रखने के लिए तीन और दिन जोड़े गए थे अर्थात् 30 जनवरी (महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस), महावीर जयन्ती और रामनवमी। इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी सं० 1 रिट याचिका में याची ने रिट याचिका के संशोधन के लिए आवेदन किया जिसके लिए न्यायालय द्वारा अनुज्ञात किया गया था। संशोधन द्वारा उसने तीन और दिवसों को अवकाश के रूप में जोड़ने वाले संशोधित स्थायी आदेश की विधिमान्यता को चुनौती दी। परिणाम यह था कि प्रत्यर्थी सं० 1 ने बूचड़खानों में अवकाश के रूप में घोषित किए गए सभी सात दिनों की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती दी। चुनौती का मुख्य आधार यह था कि आक्षेपित स्थायी आदेश याची के गो-मांस के व्यापार या कारबार को चलाने के लिए उसके अधिकार पर एक अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाते हैं और यह निर्बन्धन आम जनता के हित में नहीं था किंतु वह अन्य असंगत तर्कों पर आधारित था। चुनौती का अन्य आधार यह था कि स्थायी आदेश याची को अकेला छोड़ते हैं और अन्य उन वधिकों के समान जो केवल पशुओं का वध करते हैं और न कि भेड़ या बकरियों का, एक शत्रुतापूर्ण भेदभाव किया गया है क्योंकि स्थायी आदेश केवल उन वधिकों को प्रभावित करते हैं जो पशु का वध करते हैं और न कि उनको जो भेड़ और बकरी के मांस का व्यापार करते हैं। उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आक्षेपित स्थायी आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अतिक्रमणकारी होने के रूप में अधिकारातीत थे। किंतु उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित आक्षेप को उलट दिया। अपीलार्थियों ने प्रमाणपत्र लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को चुनौती दी है और उनकी दलील यह है कि दोनों स्थायी आदेशों द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन युक्तियुक्त निर्बन्धन था और लोक हित में था। अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित—जब किसी विधि की विधिमान्यता अनुच्छेद 19(1)(छ) में के मूल अधिकार के प्रयोग पर निर्बन्धन लगाती है और उसे चुनौती दी जाती है तो न्यायालय के समाधान के लिए उसको यह साबित

करने का भार कि निर्बन्धन युक्तियुक्त है, राज्य पर होता है। यदि विधि की यह अपेक्षा होती है कि ऐसा कार्य जो अन्तर्निहित रूप से खतरनाक, घृणात्मक या लोक हित के लिए क्षतिकारक है और उससे स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए प्रभाव पड़ सकता है और उससे समुदाय के लिए एक न्यूसेन्स हो सकती है, कार्यपालक प्राधिकारी के अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति के अधीन किया जाएगा और यह अयुक्तियुक्त नहीं होगा और कोई व्यक्ति साधिकार उस कार्य को करने के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का दावा नहीं कर सकेगा। जहां कोई विधि किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के दिए जाने के लिए उपबंध करती है और किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को नियमों या सिद्धान्तों द्वारा विनियमित करने का अभिव्यक्त या विवक्षित विवेक प्रदत्त करती है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में उनका प्रयोग अनुज्ञेय करती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उससे युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित होते हैं। किंतु जहां शक्ति किसी अनियंत्रित विवेक के रूप मे परमिट या अनुज्ञप्ति को देने या रोकने के लिए किसी प्रशासनिक अधिकरण को शक्ति सौंपी जाती है तो उससे अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन मूल अधिकार का अतिलंघन होता है। मूल अधिकार के प्रयोग करने पर निर्बन्धन का अधिरोपण नियंत्रण या प्रतिषिद्ध रूप में हो सकता है। किंतु जब किसी मूल अधिकार के प्रयोग प्रतिषिद्ध हैं तो यह साबित करने का भार कि उस अधिकार के प्रयोग करने पर किसी पूर्ण वर्जन से आम जनता के हित पर प्रभाव पड़ता है, राज्य पर होगा। इस विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में अपीलार्थियों को यह साबित करना है कि प्रत्यर्थियों के गोमांस के व्यापार या कारबार को चलाने के लिए उनके मूल अधिकार पर लगाया गया निर्बन्धन युक्तियुक्त निर्बन्धन था। न्यायालय को किसी कारबार या वृत्ति को चलाने के लिए ऐसी आक्षेपित विधि, जो कि प्रतिषेध अधिरोपित करती है, की विधिमान्यता पर विचार करना चाहिए और इस बात का मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए कि उससे प्रभावित होने वाले नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रत्यक्ष और तत्काल क्या प्रभाव पड़ता है और बृहत लोक हित प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए और उस बात को देखना चाहिए कि उससे नागरिकों की स्वतंत्रता पर क्या निर्बन्धन है, कार्य की अन्तर्निहित अहितकर प्रकृति का या उसकी क्षमता को या आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति को भी देखना चाहिए। कम प्रभाव वाले निर्बन्धनो द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना और आपवादिक स्थितियों के अभाव में जैसे कि आपातकालीन स्थिति राष्ट्रीय या स्थानीय, या आवश्यक प्रदाय को कायम रखने की आवश्यकता या अन्तर्निहित खतरनाक क्रियाकलापों को

रोकने की आवश्यकता, प्रशासनिक प्राधिकारी को इस बारे में संतुष्ट करने के लिए विद्यमान मशीनरी की आवश्यकता कि निर्बन्धन अधिरोपित करने के लिए किया गया है या उससे कम प्रभाव वाला निर्बन्धन प्राप्त किए जाने वाले आशयित उद्देश्य को सुनिश्चित कर सकता है। (पैरा 15)

अनुच्छेद 19 का खण्ड (6) उस विधि की सुरक्षा करता है जोकि आम जनता के हित में अनुच्छेद 19 के खण्ड (1) के उपखण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करती है। प्रत्यक्षत: यदि कोई विवाद हो तो विधि द्वारा अधिरोपित निर्बन्धनों की युक्तियुक्तता का अवधारण करना न्यायालयों पर ही छोड़ा गया है। उस प्रश्न का अवधारण करने के लिए न्यायालय इस आम कल्पना पर अग्रसर नहीं हो सकता कि अमूर्त रूप में युक्तियुक्त क्या है या इस विचार पर कि उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों, जिन पर निर्बन्धन अधिरोपित किए गए हैं, की दृष्टि से युक्तियुक्त क्या है। उपखण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकार साधारण भाषा में अभिव्यक्त है और यदि खण्ड (6) के समान अर्हक उपबंध न होता तो इस प्रकार प्रदत्त किया गया अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार होता। उन व्यक्तियों के लिए, जिनको यह अधिकार है, कोई भी निर्बन्धन कष्टदायक होगा और उनके द्वारा उसे अयुक्तियुक्त रूप में समझा जाएगा। किन्तु यह प्रश्न उस आधार पर विनिश्चित नहीं किया जा सकता। न्यायालय को जो कुछ करना है वह इस बात पर विचार करना है कि क्या अधिरोपित निर्बन्धन आम जनता के हित में युक्तियुक्त है। (पैरा 17)

प्रस्तुत मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर को उन दिवसों और कार्य के घण्टों को नियत करने की स्वतंत्रता थी जिसके दौरान कोई बूचड़खाना उपयोग के लिए खुला रहना चाहिए। यदि म्युनिसिपल कमिश्नर नगर के बूचड़खाने में कार्य करने वाले म्युनिसिपल स्टाफ को प्रसुविधाओं को देने के लिए बूचड़खाने के लिए अवकाशों के रूप में कतिपय दिवसों की घोषणा करता है तो ऐसे स्थायी आदेश के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता। प्रस्तुत मामले में याची-प्रत्यर्थी को शिकायत इस आधार पर है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने स्थायी आदेशों द्वारा महात्मा गांधी, भगवान महावीर, श्री राम और भगवान कृष्ण से संबद्ध दिवसों को छुट्टियों के रूप में घोषित किया था। महात्मा गांधी और भगवान महावीर अहिंसा के दूत थे जो उसी के लिए जिए और उसी के लिए मरे। महात्मा गांधी को अहिंसा के दूत के रूप में और राष्ट्रपिता के रूप में भारत के लोगों द्वारा पूजा जाता है। महावीर ने अहिंसा का प्रचार और उसका प्रसार किया और आज भी गुजरात राज्य में उसके बहुत अनुयायी

हैं। राम और कृष्ण हिन्दुओं के पूज्य हैं और लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा पूजे जाते हैं। उनके द्वारा राम को सभी गुणों और सभी उन वस्तुओं, जो कि मानवता की भलाई के लिए हैं, का अवतार समझा जाता है। कृष्ण को गीता के दर्शन के प्रतिपादक के रूप में माना जाता है। उनके जन्मदिवसों को लोगों द्वारा हर्षोल्लास के दिवसों के रूप में ही नहीं मनाया जाता बल्कि मांस से दूर रहने के दिवसों के रूप में भी मनाया जाता है। अतः कोई यह परिवाद नहीं कर सकता कि ये दिन अवकाश के रूप में गलत रूप से चुने गए हैं। (पैरा 18)

"आम जनता के हित में" अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ है जिसके अंतर्गत लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, लोक सुरक्षा, सदाचार, समुदाय का आर्थिक कल्याण और संविधान के भाग 4 में उल्लिखित उद्देश्य आते हैं। कोई भी आधारभूत ऐसी सुख-सुविधाओं का उपबंध करने वाली विधि के रूप में विवाद नहीं कर सकता जोकि मानव श्रम की महत्ता के लिए हैं जैसे कैंटीन, विश्राम-गृह, पेय जल, शौचालय और मूत्रालय आदि के लिए उपबंध, आम जनता के हित में एक सामाजिक कल्याण के उपाय हैं। इसी प्रकार से श्रमिक वर्ग के लिए मजदूरी, काम करने की शर्तें या अन्य सुख-सुविधाओं से संबद्ध विधान और अधिसूचनाओं की बाबत न्यायालयों ने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है और कर्मकारों का हित उस कठिनाई के होते हुए भी जो नियोजकों द्वारा कारित की जा सकती है, कर्मकारों के हित की सुरक्षा की गई है। अतः संबद्ध विधानमण्डल या प्राधिकारी को म्युनिसिपल बूचड़खाने में कार्यरत म्युनिसिपल स्टाफ के लिए उचित अवकाशों को सुनिश्चित करने के लिए और वर्ष में कतिपय बन्द दिवसों का उपबंध करने के लिए स्वतंत्रता थी। उच्च न्यायालय की मताभिव्यक्तियों के अनुसार भी किसी को धारा 466(1)(डी)(बी) के अधीन म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेशों के बारे में कोई आपत्ति नहीं हो सकती यदि म्युनिसिपल बूचड़खाने में कार्यरत म्युनिसिपल स्टाफ के लिए उचित अवकाशों को सुनिश्चित करने के लिए कतिपय दिवसों को बन्द किए गए थे। एकमात्र आक्षेप यह था कि स्थायी आदेश बूचड़खानों को जन्माष्टमी, जैन सांवतसरी, 2 अक्तूबर (महात्मा गांधीजी का जन्म दिवस), 12 फरवरी (महात्मा गांधी का श्राद्ध दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस), महावीर जयन्ती और रामनवमी को बन्द का निदेश देते हैं। इन दिवसों को नगर निगम बूचड़खानों के लिए स्थायी आदेशों के अधीन अवकाश के रूप में घोषित किया गया था। (पैरा 19)

युक्तियुक्तता की कसौटियों को उन विवाद्यकों के संदर्भ में देखा जाना है जोकि विधानमण्डल के सामने आते हैं। ऐसी विधियों के अर्थान्वयन में और उनकी विधिमान्यता का निर्णय करने में न्यायालयों को उस सामाजिक हित को अग्रसर करने की दृष्टि से समस्या को देखना चाहिए जिसको प्रोत्साहन देने के लिए विधान का प्रयोजन है। इन मामलों में वह हवा में ही काम नहीं करते बल्कि उस समाज के भाग के रूप में है जोकि अधिनियमित विधि द्वारा उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए और संपूर्ण समुदाय की नैतिक और आर्थिक उन्नति को अग्रसर करने के लिए है। (पैरा 20)

इस प्रकार यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि दो स्थायी आदेशों में विनिर्दिष्ट सात दिवसों को बूचड़खाने का बन्द रहना किसी भी रूप में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन याची प्रत्यर्थी को गारंटीकृत मूल अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाते हैं। (पैरा 21)

उच्च न्यायालय ने विधिमान्य कारण से प्रत्यर्थी की द्वितीय दलील को अभिखंडित किया था जोकि संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित है, जिसके साथ यह न्यायालय पूर्णतः सहमत है। (पैरा 22)

अब यह सुस्थापित है कि जबकि अनुच्छेद 14, वर्ग विधान को रोकता है, फिर भी यह विधान के प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण को नहीं रोकता और यह कि अनुज्ञेय वर्गीकरण की कसौटी को पारित करने के लिए दो शर्तें अवश्य पूरी की जानी चाहिएं, अर्थात् (i) वर्गीकरण एक सुबोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जोकि उन व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रभेद करता है जोकि अन्य ग्रुपों से अलग एक ग्रुप के साथ रखी जाती हैं और (ii) ऐसे अंतर का प्रश्नगत कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ईप्सित उद्देश्य के साथ युक्तिमूलक संबंध होना चाहिए। वर्गीकरण भिन्न आधार पर भी आधारित हो सकता है अर्थात् भौगोलिक या उद्देश्यों या वृत्तियों के अनुसार या इसी के समान और जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच संबंध होना चाहिए। किसी अधिनियमिति की सांविधानिकता के पक्ष में हमेशा एक उपधारणा रहती है और यह दर्शाने के लिए उस व्यक्ति पर भार होता है जो उसे चुनौती देता है कि सांविधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट अतिक्रमण हुआ है। न्यायालयों को अनिवार्यतः यह उपधारणा करनी चाहिए कि विधानमण्डल अपने लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और ठीक प्रकार से उनको देखता है और यह कि उसकी विधियां अनुभव द्वारा स्पष्ट की गई समस्याओं के

लिए निदेशित हैं और यह कि इसका विभेद पर्याप्त आधारों पर आधारित है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि विधानमण्डल अपहानि की श्रेणियों को मान्यता देने के लिए स्वतंत्र है और वह निर्बन्धनों को उन मामलों तक ही सीमित रख सकता है जहां स्पष्टतः आवश्यकता समझी जाती है और अंततः सांविधानिकता की उपधारणा को कायम रखने के लिए न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य संबंध के मामलों, पूर्व इतिहास पर विचार कर सकता है और उन सब तथ्यों की प्रत्येक स्थिति की धारणा कर सकता है जोकि विधान के समय विद्यमान थी। (पैरा 23)

आक्षेपित स्थायी आदेशों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ईप्सित उद्देश्य पशुधन के परिरक्षण, सुरक्षा और सुधार के लिए हैं। गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े निस्संदेह इस देश की कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण पशु हैं। भैंसें बहुत अधिक दूध देती हैं और इसलिए उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और उन्हें इतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है जितनी कि गायों के लिए है क्योंकि गाय कम मात्रा में दूध देती हैं। वाहक पशुओं के रूप में नर भैंसे इतने उपयोगी नहीं हैं जितने कि बैल। भेड़ और बकरी गायों और भैंसों की तुलना में बहुत कम दूध देती हैं और वाहक पशुओं के रूप में उनकी व्यावहारिक रूप से कोई उपयोगिता नहीं है। चूंकि पशुओं के भिन्न प्रवर्गों को समाज के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण करने पर पृथक् समूहों में रखा जाता है इसलिए वे कसाई (वधिक) जो प्रत्येक प्रवर्ग के पशुओं का वध करते हैं, भी अपनी-अपनी उपजीविकाओं को चलाने के लिए समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार भिन्न वर्गों में रखा जा सकता है। उन विधिकों का जो पशुओं का वध करते हैं, अपनी उपजीविका के आधार पर एक सुपरिभाषित वर्ग है। यह वर्गीकरण एक सुबोधगम्य अंतर और प्रभेद पर आधारित है जोकि उनको अलग करता है जो बकरियों और भेड़ों का वध करते हैं और इस अंतर का आक्षेपित अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ईप्सित उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है अर्थात् हमारे पशुधन का परिरक्षण, सुरक्षा और सुधार। इन उद्देश्यों की प्राप्ति से यह आवश्यक हो सकता है कि पशुओं का वध करने वालों को भेड़ और बकरियों के वध करने वालों से भिन्न रूप में समझा जाना चाहिए। अतः स्थायी आदेशों में उचित और बोधगम्य आधार पर आधारित वर्गीकरण को अपनाया गया है और वे अधिकथित उपर्युक्त कसौटी पर बिल्कुल पूरे उतरते हैं। (पैरा 24)

1986(4) eILR(PAT) SC 1

अवलम्बित निर्णय

पैरा

[1981] [1981] 3 उम० नि० प० 146=[1981] 1 एस० सी० आर० 206 :
मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य; 5

[1961] [1961] एस० सी० आर० 1601 :
ज्योति प्रसाद बनाम दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र; 20

[1959] [1959] एस० सी० आर० 629 :
मोहम्मद हनीफ कुरैशी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य. 2, 6, 7

निर्दिष्ट निर्णय

[1970] [1970] 2 उम० नि० प० 1=[1970] 1 एस० सी० आर० 156 :
मोहम्मद फारुक बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य; 12

[1961] [1961] 2 एस० सी० आर० 610 :
अब्दुल हकीम कुरैशी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य; 6

[1952] [1952] एस० सी० आर० 597 :
मद्रास राज्य बनाम वी० जी० राव. 17

सिविल अपीली अधिकारिता : 1970 की सिविल अपील सं० 1685.

1965 की एस० सी० ए० सं० 102 में गुजरात उच्च न्यायालय के तारीख 3 मार्च, 1970 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से — सर्वश्री एस० टी० देसाई, टी० यू० मेहता, एच० एस० परिहार, ए० के० वर्मा०, जोयेल पेरीज़, डी० एन० मिश्र और विपिन चन्द्र

प्रत्यर्थियों की ओर से — सर्वश्री जी० ए० शाह, गिरीश चन्द्र, सी० वी० सुब्बा राव और आर० एन० पोद्दार

1986(4) eILR(PAT) SC 1

मध्यक्षेपियों की ओर से सर्वश्री टी० यू० मेहता और एच० जे० ज़ावेरी

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर० बी० मिश्र ने दिया।

न्यायमूर्ति मिश्र—

गाय और बछड़ों के वध का एक संवेदनशील विवाद्यक रहा है और इसने बार-बार इस देश के लोगों के विभिन्न वर्गों के बीच हिंसा के भावनात्मक मतभेदों को उत्पन्न किया है। भारत के संविधान का भाग 4 राज्य की नीति के निदेशक तत्व कहा जाने वाला भाग है। ये राज्य की नीति के निदेशक तत्व किसी विधि न्यायालय में प्रवर्तनशील नहीं हैं किन्तु देश के शासन में आधारभूत हैं और विधियां बनाते समय राज्यों द्वारा उनको लागू किया जाता है। भाग 4 में अंतर्विष्ट अनुच्छेद 48 में निम्नलिखित उपबंध किया गया है—

> "48. राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया, गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा।"

2. ऐसा प्रतीत होता है कि संविधान के अनुच्छेद 48 के अनुसरण में अनेक राज्यों ने गाय और बछड़ों और अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के परिरक्षण और उनके वध को प्रतिषिद्ध करने के लिए विधियां अधिनियमित की हैं। बिहार राज्य ने बिहार प्रिज़रवेशन एण्ड इम्प्रूवमेंट आफ ऐनिमल्स ऐक्ट, 1955, उत्तर प्रदेश राज्य ने उत्तर प्रदेश प्रिवेंशन आफ काउ स्लाटर ऐक्ट (उत्तर प्रदेश गो-वध बन्दी अधिनियम), 1955 और मध्य प्रदेश ने सी० पी० एण्ड बरार ऐनिमल प्रिज़रवेशन ऐक्ट, 1949, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् संक्षेप में क्रमशः बिहार, उत्तर प्रदेश और सी० पी० एण्ड बरार ऐक्ट कहा गया है, अधिनियमित किए। ये अधिनियम पशुओं के सभी प्रवर्गों या गो-जातीय पशुओं की सभी किस्मों के वध पर पूर्णतः बंधन लगाते हैं। इन अधिनियमों की सांविधानिक विधिमान्यता को संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(छ) और 25 के अतिक्रमणकारी होने के रूप में उन लोगों द्वारा **मोहम्मद हनीफ कुरैशी और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य**[1] वाले मामले

[1] [1959] एस० सी० आर० 629.

में चुनौती दी गई थी जिनका व्यापार या कारबार प्रभावित हुआ था। इस न्यायालय ने निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया—

"परिणाम यह है कि हम यह कायम रखते हैं और यह घोषणा करते हैं कि बिहार ऐक्ट जहां तक यह सभी आयु की गायों और बछड़ों और भैंसों के कटड़ों और कटियाओं के वध को प्रतिषिद्ध करता है, सांविधानिक रूप से विधिमान्य है और हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि जहां तक यह पूर्णत: भैंसों, प्रजनन करने वाले सांडों और काम करने वाले बैलों (पशु और भैंसे) के वध को प्रतिषिद्ध करता है और उसमें उनकी आयु या उनकी उपयोगिता के लिए कोई कसौटी या अपेक्षा विहित नहीं करता तो इससे अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन याचियों के अधिकार का अतिलंघन करता है और उस सीमा तक शून्य है।

उत्तर प्रदेश अधिनियम के बारे में हम यह बात कायम रखते हैं और पूर्व उल्लिखित कारणों से यह घोषणा करते हैं कि यह सांविधानिक रूप से विधिमान्य है जहां तक यह सभी आयु की गायों और गाय के बछड़ों और बछियाओं के वध करने को प्रतिषिद्ध करता है किन्तु हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि जहां तक यह प्रजनन करने वाले सांडों और काम करने वाले बैलों के वध का पूर्णत: उनकी आयु या उनकी उपयोगिता के बारे में कोई कसौटी या अपेक्षा को विहित किए बिना करता है तो इससे अनुच्छेद 19(1)(छ) का अतिलंघन होता है और उस सीमा तक शून्य है।

जहां तक मध्य प्रदेश अधिनियम का संबंध है, उसी तरह से हम यह घोषणा करते हैं कि यह सांविधानिक रूप से विधिमान्य है जहां तक यह सभी आयु की गायों और गाय के बछड़ों और बछियाओं के वध को प्रतिषिद्ध करता है किन्तु यह कि यह शून्य है जहां तक यह प्रजनन करने वाले सांडों और काम करने वाले बैलों को उनकी आयु या उपयोगिता की किसी कसौटी या अपेक्षा को विहित किए बिना पूर्णत: प्रतिषिद्ध करता है।

हम यह भी अभिनिर्धारित करते हैं कि अधिनियम विधिमान्य है जहां तक यह उसमें उल्लिखित प्राधिकारियों द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के अधीन अन्य पशुओं के वध को विनियमित करता है।"

3. न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि ये अधिनियम राज्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 48 द्वारा उन पर डाली गई बाध्यताओं के निर्वहन में बनाए गए थे ।

4. अनुच्छेद 19(1)(छ) किसी भी नागरिक को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारबार करने का मूल अधिकार प्रदत्त करता है । अनुच्छेद 14 में यह उल्लेख है कि राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा । अनुच्छेद 13(2) में यह उपबंध किया गया है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है और इस खण्ड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी ।

5. संविधान के भाग 3 में दिए गए मूल अधिकारों और भाग 4 में वर्णित राज्य की नीति के निदेशक तत्वों पर विचार करते हुए संविधान न्यायपीठ ने **मिनर्वा मिल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य**[1] वाले मामले में निम्नलिखित मताभिव्यक्ति की—

> "इस परिकल्पना का महत्व कि भाग 3 और 4 मिलकर सामाजिक क्रांति के वचनदान का आन्तरिक पहलू गठित करते हैं और वे सामयिक रूप में संविधान की अंतरात्मा हैं । भारतीय संविधान की स्कीम के गम्भीर अर्थबोध से उद्‌गम प्राप्त करते हैं । कार्नविल आस्टन द्वारा व्यक्त किया गया मत सही स्थिति को सामने लाता है जो यह है कि भाग 3 और 4 रथ के दो चक्रों के समान हैं जिनमें से कोई भी एक चक्र दूसरे चक्र की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण नहीं है । यदि एक को तोड़ दिया जाए तो दूसरे की दक्षता समाप्त हो जाएगी । वे सामाजिक क्रांति, जोकि ऐसा आदर्श है जिसे संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं ने अपने समक्ष रखा था, की पूर्ति करने के लिए दोहरे सूत्र के समान हैं । दूसरे शब्दों में, भारतीय संविधान भाग 3 और 4 के बीच सन्तुलन की आधारशिला पर कायम है । इनमें से किसी एक को दूसरे की अपेक्षा पूर्विकता प्रदान करना संविधान के सामंजस्य को विक्षुब्ध करना है । मूल अधिकारों तथा निदेशक तत्वों के बीच सामंजस्य तथा संतुलन संविधान के मूल ढांचे का एक आवश्यक लक्षण है ।

---

[1] [1981] 3 उम० नि० प० 146=[1981] 1 एस० सी० आर० 206.

यह मात्र शब्दार्थ विज्ञान नहीं है। हमारे संविधान का ढांचा उसकी प्रस्तावना में प्रस्फुटित अवधारणाओं पर निर्मित है। हमने यह संकल्प किया था कि हम अपने आपको एक सामाजिक राज्य के रूप में गठित करेंगे जिसके साथ हमारे लोगों को सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय अभिप्राप्त करने की बाध्यता होगी। इसलिए हमने अपने संविधान में भाग 4 को रखा है जिसके अंतर्गत राज्य नीति के निदेशक तत्व विद्यमान हैं जो उस सामाजिक उद्देश्य को विनिर्दिष्ट करते हैं जिसकी पूर्ति की जानी है। हमने अपनी जनता से यह वचनदान किया था कि हम एक ऐसी प्रजातंत्रीय नीति बनाएंगे जिसमें जनता को विचार स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, विश्वास स्वातंत्र्य, आस्था और पूजा संबंधी स्वातंत्र्य हैसियत तथा अवसर की समानता एवं इस बात का आश्वासन विद्यमान हो कि व्यक्ति की गरिमा किसी भी कीमत पर परिरक्षित रखी जाएगी। इसलिए हमने अपने संविधान में भाग 3 रखा था जोकि जनता को ऐसे अधिकार प्रदत्त करता है। यह अधिकार अपने आप में देय नहीं है बल्कि वे उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए हैं। देय को भाग 4 में विनिर्दिष्ट किया गया है। इसलिए भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार युक्तियुक्त निर्बन्धनों के अध्यधीन हैं और संविधान में यह उपबंध किया गया है कि उनमें से कुछ का प्रवृत्त किया जाना, कथित असाधारण परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकेगा। किन्तु जिस प्रकार भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकार किसी राढार तथा परकार (कम्पास) के बिना होंगे यदि वे किसी आदर्श के प्रति उद्दिष्ट न हों। उसी प्रकार भाग 4 में उपवर्णित उद्देश्यों की अभिप्राप्ति नृशंसवाद का एक बहाना बन जाएगा यदि उस आदर्श की पूर्ति करने के लिए संदत्त की जाने वाली कीमत मानविक स्वतंत्रताओं के रूप में है। हमारे संविधान के निर्माताओं की आस्थाओं में से एक आस्था यह थी कि हमारे साधन शुद्ध होने चाहिएं। वास्तव में हमारी विधि के अधीन कोई डकैत भी, जिसने कि हत्या की हो, आत्म-रक्षा के अधिकार के प्रयोग में मृत्यु के घाट नहीं उतारा जा सकता जबकि वह निकल भागा हो। साधनों की शुद्धता पर सभ्य विधियों की प्रबलता इतनी अधिक है। इसलिए भाग 4 में उपवर्णित उद्देश्य भाग 3 द्वारा उपबंधित साधनों का निराकरण किए बिना पूरे किए जा सकते हैं। इन्हीं अर्थों में, भाग 3 और 4 एक-दूसरे के साथ मिलकर हमारे संविधान का केन्द्रीय स्थल

गठित करते हैं और संयुक्त रूप से उसका अन्त:करण विरचित करते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु जोकि दो भागों के बीच संतुलन को विनष्ट करती है अपने आपमें हमारे संविधान के आधारभूत ढांचे के आवश्यक तत्व को विनष्ट कर देगी।"

6. किन्तु समय-समय पर **मोहम्मद हनीफ कुरेशी**[1] वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को सीमित करने के प्रयास किए गए थे। उस मामले में निर्णय के पश्चात् बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के विधानमण्डलों ने वध करने के लिए पशुओं की न्यूनतम आयु विहित करते हुए संशोधन अधिनियम पारित किए। बिहार अधिनियम सांड, बैल या भैंस का वध उस समय तक जब तक कि उस पशु की आयु 25 वर्ष नहीं हो जाती और वह अनुपयुक्त नहीं हो जाता, प्रतिषिद्ध करता है। उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन सांड या भैंसे का वध केवल उस समय अनुज्ञेय था यदि उसकी आयु 20 वर्ष से अधिक थी और वह स्थायी रूप से अयोग्य थे। मध्य प्रदेश विधानमण्डल ने एक नया अधिनियम एम० पी० एग्रीकल्चरल कैटल प्रिज़रवेशन ऐक्ट (मध्य प्रदेश कृषि पशु परिरक्षण अधिनियम), 1959 पारित किया जिसके अधीन सांड, बैल या भैंसे का वध सिवाय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र के आधार पर प्रतिषिद्ध था। प्रमाणपत्र उस समय तक जारी नहीं किया जा सकता जब तक कि पशु की आयु 20 वर्ष से अधिक न हो और वह कार्य के लिए या प्रजनन के लिए अयोग्य हो। इन अधिनियमों को पुन: **अब्दुल हकीम कुरेशी और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में चुनौती दी गई थी। इस न्यायालय ने यह मत अपनाया था कि 20 या 25 वर्ष की आयु से नीचे के सांडों और भैंसों के वध पर वर्जन आम जनता के हित में युक्तियुक्त निर्बन्धन नहीं था और वह शून्य था। यह इस आधार पर था कि सांड, बैल या भैंसा 15 के पश्चात् उपयोगी नहीं रहा था और उसका जो कुछ थोड़ा बहुत उपयोग था उससे आर्थिक लाभ होने की बजाय उसके खाने पर अधिक खर्च होता था और वह बिना किसी सेवा वाला पशु बन जाता था। इस न्यायालय ने इसके अतिरिक्त यह अभिनिर्धारित किया कि एक यह शर्त कि पशु को 20 या 25 वर्ष से ऊपर की आयु के होने के अतिरिक्त अयोग्य भी होना चाहिए जो कि एक अयुक्तियुक्त निर्बन्धन था। तदनुसार, बिहार, उत्तर

---

[1] [1959] एस० सी० आर० 629.

[2] [1961] 2 एस० सी० आर० 610.

प्रदेश और मध्य प्रदेश अधिनियमों के सुसंगत उपबंध अविधिमान्य घोषित किए गए थे।

7. प्रस्तुत मामला प्रत्यक्षतः एक अन्य प्रयास है यद्यपि थोड़ा-सा भिन्न आधार पर है जिससे कि इस न्यायालय के मोहम्मद हनीफ कुरेशी वाले उपरोक्त मामले के विनिश्चय को सीमित करने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत अपील को उद्भूत करने वाली रिट में बाम्बे प्राविन्शियल म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 466(1)(डी)(बी) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अहमदाबाद नगर की नगर निगम के म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा किए गए दो आदेशों को चुनौती दी गई थी और यह निदेश दिया गया था कि म्युनिसिपल स्लाटर हाउस (नगर वध-गृह) सभी कार्य दिवसों को सिवाय दो स्थायी आदेशों में उल्लिखित सात दिनों के, खुले रहने चाहिएं।

8. जान मोहम्मद उस्मानभाई गो-मांस का व्यवहारी है जिसकी अहमदाबाद नगर में सरंगपुर दरवाज़े के बाहर दुकान है। उसका मामला यह है कि वह नगर निगम के स्वामित्व वाले स्लाटर हाउस (बूचड़खाने) में अपने पशुओं का वध कराता है। नगर निगम ने 18 जुलाई, 1957 को बाजारों और बूचड़खानों से संबंद्ध उपविधियां विरचित की थीं और इन उपविधियों को मुम्बई सरकार, जैसे कि उस समय थी, द्वारा मंजूरी दी गई थी। अधिनियम की धारा 466(1)(डी)(बी) म्युनिसिपल कमिश्नर को अधिनियम और नियमों और उपविधियों के उपबंधों से संगत स्थायी आदेश बनाने की शक्ति प्रदत्त करती है। ऐसी शक्तियों में से एक शक्ति ऐसे दिवसों और घण्टों को नियत करने के विस्तार तक है जिसके दौरान कोई बाजार, बूचड़खाना या स्टाकयार्ड उपयोग के लिए खुला रखा जा सकेगा और वर्ष 1956 में म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा चार दिनों को अवकाश के रूप में नियत करते हुए एक स्थायी आदेश किया गया था जिसको नगर का बूचड़खाना बन्द रहेगा। स्थायी आदेश में संशोधन द्वारा 17 दिसम्बर, 1965 को एक संशोधन प्रभावित किया गया और इस प्रकार से एक वर्ष में सात दिवसों की कुल सूची बनाते हुए जिसको नगर का बूचड़खाना बन्द रहना था, तीन और दिन जोड़े गए थे।

9. जान मोहम्मद उस्मानभाई ने बाम्बे प्राविन्शियल म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट, 1949 की धारा 466(1)(डी)(बी) के अधीन विरचित दो उपर्युक्त स्थायी आदेशों की विधिमान्यता को संविधान के अनुच्छेद 14

और 19(1)(छ) के अतिक्रमणकारी होने के रूप में स्थायी आदेशों में दिए गए सात दिनों को बूचड़खानों के बन्द रहने के निदेश को चुनौती दी क्योंकि बूचड़खानों के बन्द रहने से उसके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था क्योंकि स्थायी आदेशों में विनिर्दिष्ट इन सात दिनों को बूचड़खाने में पशु प्रविष्ट नहीं किए जा सके थे और इसलिए वह अपनी गो-मांस की दुकान के लिए उन पशुओं का मीट प्राप्त नहीं कर सकता था।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि रिट याचिका के प्रस्तुत करने के समय संशोधित स्थायी आदेश में बूचड़खाने में अवकाश की सूची में तीन और दिनों को जोड़ने के लिए दिन के प्रकाश को नहीं देखा गया था। किन्तु अहमदाबाद की नगर निगम ने 18 जनवरी, 1965 को एक संकल्प पारित किया था जिसके द्वारा बूचड़खाने के लिए अवकाश की सूची में तीन और दिन जोड़े गए थे। याची ने यह अभिवचन किया कि नगर के बूचड़खाने को किसी क्षेत्र में किसी विशेष दिवस को बन्द रखने की शक्ति म्युनिसिपल कमिश्नर में निहित है और ऐसी शक्ति का प्रयोग म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा उचित रूप से जारी किए गए और प्रख्यापित स्थायी आदेश द्वारा किया जा सकता था। म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा नगर के बूचड़खानों को सभी कार्य-दिवसों को खुला रखने के लिए सिवाय निम्नलिखित चार दिनों के अर्थात् जन्माष्टमी, जैन सामवत्सरी, 2 अक्तूबर (महात्मा गांधी का जन्मदिन) और 12 फरवरी (महात्मा गांधी का श्राद्ध दिवस)। 18 जनवरी, 1965 को निगम द्वारा पारित संकल्प, जिसके द्वारा बूचड़खानों के लिए तीन अतिरिक्त छुट्टियों की घोषणा की गई थी, अकृत और शून्य था। किंतु रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा बाम्बे प्राविन्शियल म्युनिसिपल कारपोरेशन ऐक्ट की धारा 466(1)(डी)(बी) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 सितम्बर, 1965 को एक नया स्थायी आदेश किया गया था जिसके द्वारा बूचड़खानों को बन्द रखने के लिए तीन और दिन जोड़े गए थे, अर्थात्, 30 जनवरी (महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस), महावीर जयन्ती और रामनवमी। इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी सं० 1 रिट याचिका में याची ने रिट याचिका के संशोधन के लिए आवेदन किया, जिसके लिए न्यायालय द्वारा 12 अगस्त, 1969 को अनुज्ञात किया गया था। संशोधन द्वारा उसने तीन और दिवसों को अवकाश के रूप में जोड़ने वाले संशोधित स्थायी आदेश की विधिमान्यता को चुनौती दी। परिणाम यह था कि प्रत्यर्थी सं० 1 ने बूचड़खानों में अवकाश के रूप में घोषित किए गए सभी सात दिनों की सांविधानिक विधिमान्यता को चुनौती दी।

1986(4) eILR(PAT) SC 1

11. चुनौती का मुख्य आधार यह था कि आक्षेपित स्थायी आदेश याची के गोमांस के व्यापार या कारबार को चलाने के लिए उसके अधिकार पर एक अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाते हैं और वह निर्बन्धन आम जनता के हित में नहीं था किंतु वह अन्य असंगत तर्कों पर आधारित था। चुनौती का अन्य आधार यह था कि स्थायी आदेश याची को अकेला छोड़ते हैं और अन्य उस वधिकों के समान जो केवल पशुओं का वध करते हैं और न कि भेड़ या बकरियों का, एक शत्रुतापूर्ण भेदभाव किया गया है क्योंकि स्थायी आदेश केवल उन वधिकों को प्रभावित करते हैं जो पशु का वध करते हैं और न कि उनको जो भेड़ और बकरी के मांस का व्यापार करते हैं।

12. **मोहम्मद फारूक बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य**[1] वाले मामले का अवलंब लेते हुए उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि आक्षेपित स्थायी आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अतिक्रमणकारी होने के रूप में अधिकारातीत थे। उस मामले में जबलपुर म्युनिसिपैलिटी की की उपविधियां अनेक पशुओं के वध को अनुज्ञात करती थीं जिसमें सांड और बैलों का वध सम्मिलित था। उस प्रयोजन के लिए एक अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करनी होती थी। म्युनिसिपैलिटी द्वारा नियत किए गए परिसरों से बाहर के स्थानों में पशुओं का वध अधिनियम की धारा 257(3) द्वारा प्रतिषिद्ध था और म्युनिसिपैलिटी द्वारा इस प्रकार नियत न किए गए परिसरों में इस प्रकार से वध किए गए पशुओं के मांस का विक्रय म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र के अन्तर्गत भी प्रतिषिद्ध था। उस अधिसूचना के अधीन, जिसके द्वारा 1948 में उपविधियां जारी की गई थीं, सांड और बैलों को उस प्रयोजन के लिए नियत किए गए परिसरों में वध किया जा सकता था किंतु 12 जनवरी, 1967 की अधिसूचना द्वारा उन उपविधियों की पुष्टि जहां तक वे सांडों और बैलों से संबंधित थी, रद्द की गई थी। उस अधिसूचना का प्रभाव जबलपुर म्युनिसिपैलिटी के भीतर सांडों और बैलों के वध को प्रतिषिद्ध करना था। इस बात पर जोर दिया गया था कि उपविधियों की पुष्टि का रद्दकरण संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन याची के मूल अधिकार पर सीधा निर्बन्धन अधिरोपित करता है। इस न्यायालय ने यह अधिकथित किया—

> "यद्यपि प्रश्नगत अधिसूचना तकनीकी दृष्टि से राज्य सरकार की क्षमता के भीतर है किंतु वह अनुच्छेद 19(1)(छ) द्वारा गारंटी

---

[1] [1970] 2 उम० नि० प० 1=[1970] 1 एस० सी० आर० 156.

किए गए अर्जीदार के मूल अधिकार का प्रत्यक्षतः अतिलंघन करती है। उसका समर्थन तभी किया जा सकता है जब यह सिद्ध हो जाए कि वह जनसाधारण के हित में युक्तियुक्त निर्बन्धन लगाने के लिए है और इससे कम कठोर निर्बन्धन से जनसाधारण का हित सुनिश्चित न होगा।"

इसके अतिरिक्त न्यायालय ने यह मताभिव्यक्ति की—

"स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित परिसरों में सांडों या बैलों के वध की अनुज्ञा से लोगों के एक वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है। किंतु व्यवसाय, व्यापार या कारबार करने के मूल अधिकार के प्रयोग पर लगाया गया प्रतिषेध नहीं माना जाएगा यदि वह जनसाधारण के हित में न लगाया जाकर लोगों के किसी ऐसे वर्ग की संवेदनाओं और भावनाओं की दृष्टि से ही लगाया जाता है जिसका जीवनक्रम, विश्वास और चिन्तन उसी प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का दावेदार का है।"

13. किंतु उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित आक्षेप को उलट दिया।

14. अपीलार्थियों ने अब प्रमाणपत्र लेकर उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को चुनौती दी है और उनकी दलील यह है कि दो स्थायी आदेशों द्वारा अधिरोपित निर्बन्धन युक्तियुक्त निर्बन्धन था और आम जनता के हितों में था।

15. अपीलार्थियों की ओर से जोर दिए गए मुद्दों पर विचार करने से पूर्व सांविधानिक उपबंधों के अर्थान्वयन में सुस्थापित सिद्धांतों को निर्दिष्ट करना उपयुक्त होगा। जब किसी विधि की विधिमान्यता अनुच्छेद 19(1)(छ) में के मूल अधिकार के प्रयोग पर निर्बन्धन लगाती है और उसे चुनौती दी जाती है तो न्यायालय के समाधान के लिए उसको यह साबित करने का भार कि निर्बन्धन युक्तियुक्त है, राज्य पर होता है। यदि विधि की यह अपेक्षा होती है कि ऐसा कार्य जो अन्तर्निहित रूप से खतरनाक, घृणात्मक या लोक हित के लिए क्षतिकारक है और उससे स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए प्रभाव पड़ सकता है और उससे समुदाय के लिए एक न्यूसेंस हो सकती है, कार्यपालक प्राधिकारी के अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति के अधीन किया जाएगा और यह युक्तियुक्त नहीं होगा और कोई व्यक्ति साधिकार उस कार्य को

करने के लिए अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र का दावा नहीं कर सकेगा। जहां कोई विधि किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र के दिए जाने के लिए उपबंध करती है और किसी प्रशासनिक प्राधिकारी को नियमों या सिद्धांतों द्वारा विनियमित करने का अभिव्यक्त या विवक्षित विवेक प्रदत्त करती है और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसरण में उनका प्रयोग अनुज्ञेय करती है तो यह उपधारणा की जाएगी कि उससे युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित होते हैं। किंतु जहां शक्ति किसी अनियंत्रित विवेक के रूप में परमिट या अनुज्ञप्ति को देने या रोकने के लिए किसी प्रशासनिक अभिकरण को शक्ति सौंपी जाती है तो उससे अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन मूल अधिकार का अतिलंघन होता है। मूल अधिकार के प्रयोग करने पर निर्बन्धन का अधिरोपण नियंत्रण या प्रतिषिद्ध रूप में हो सकता है। किंतु जब किसी मूल अधिकार के प्रयोग प्रतिषिद्ध हैं तो यह साबित करने का भार कि उस अधिकार के प्रयोग करने पर किसी पूर्ण वर्जन से आम जनता के हित पर प्रभाव पड़ता है, राज्य पर होगा। इस विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में अपीलार्थियों को यह साबित करना है कि प्रत्यर्थियों के गोमांस के व्यापार या कारबार को चलाने के लिए उनके मूल अधिकार पर लगाया गया निर्बन्धन युक्तियुक्त निर्बन्धन था। न्यायालय को किसी कारबार या वृत्ति को चलाने के लिए ऐसी आक्षेपित विधि, जो कि प्रतिषेध अधिरोपित करती है, की विधिमान्यता पर विचार करना चाहिए और इस बात का मूल्यांकन करने का प्रयास करना चाहिए कि उससे प्रभावित होने वाले नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रत्यक्ष और तत्काल क्या प्रभाव पड़ता है और बृहत लोक हित प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए और उस बात को देखना चाहिए कि उससे नागरिकों की स्वतंत्रता पर क्या निर्बन्धन है, कार्य की अंतर्निहित अहितकर प्रकृति का या उसकी क्षमता को या आम जनता को नुकसान पहुंचाने वाली प्रवृत्ति को भी देखना चाहिए। कम प्रभाव वाले निर्बन्धनों द्वारा उद्देश्य को प्राप्त करने की संभावना और आपवादिक स्थितियों के अभाव में जैसे कि आपातकालीन स्थिति, राष्ट्रीय या स्थानीय, या आवश्यक प्रदाय को कायम रखने की आवश्यकता या अंतर्निहित खतरनाक क्रियाकलापों को रोकने की आवश्यकता, प्रशासनिक प्राधिकारी को इस बारे में संतुष्ट करने के लिए विद्यमान मशीनरी की आवश्यकता कि निर्बन्धन अधिरोपित करने के लिए किया गया है या उससे कम प्रभाव वाला निर्बन्धन प्राप्त किए जाने वाले आशयित उद्देश्य को सुनिश्चित कर सकता है।

16. उपर्युक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए विचारार्थ प्रश्न यह है कि क्या दो स्थायी आदेशों में विनिर्दिष्ट सात दिनों को बूचड़खाने की बन्दी पर संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन गारंटीकृत याची के मूल अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाता है। बूचड़खाने के लिए बन्द दिवसों के रूप में घोषित सात दिनों में से तीन दिन महात्मा गांधी अर्थात् 2 अक्तूबर के रूप में उनका जन्म-दिवस, 12 फरवरी उनका श्राद्ध-दिवस और 30 जनवरी उनका निर्वाण दिवस, से संबद्ध हैं और शेष चार दिन भगवान कृष्ण के जन्म-दिवस जन्माष्टमी, श्रीराम का जन्म-दिवस रामनवमी, महावीर जयन्ती भगवान महावीर, जोकि जैन धर्म के प्रतिपादक थे, और जैन सावंतसरी से संबद्ध हैं। सामान्यतः विधानमण्डल ही इस बात का निर्णय करने के लिए उत्तम निर्णायक है कि उस समुदाय, जिसके मतों के द्वारा यह विद्यमान हुआ था, की भलाई के लिए क्या है। न्यायालय का यही उचित दृष्टिकोण होना चाहिए। किन्तु विधि की विधिमान्यता का अवधारण करने के लिए अंततः दायित्व न्यायालयों का ही होना चाहिए और न्यायालय को उस पर संविधान द्वारा डाले गए उस सत्यनिष्ठ कर्तव्य से बचना नहीं चाहिए।

17. अनुच्छेद 19 का खण्ड (6) उस विधि की सुरक्षा करता है जोकि आम जनता के हित में अनुच्छेद 19 के खण्ड (1) के उपखण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करने के लिए युक्तियुक्त निर्बन्धन अधिरोपित करती है। प्रत्यक्षतः यदि कोई विवाद हो तो विधि द्वारा अधिरोपित निर्बन्धनों की युक्तियुक्तता का अवधारण करना न्यायालयों पर ही छोड़ा गया है। उस प्रश्न का अवधारण करने के लिए न्यायालय इस आम कल्पना पर अग्रसर नहीं हो सकता कि अमूर्त रूप में युक्तियुक्त क्या है या इस विचार पर कि उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों, जिन पर निर्बन्धन अधिरोपित किए गए हैं, की दृष्टि से युक्तियुक्त क्या है। उपखण्ड (छ) द्वारा प्रदत्त अधिकार साधारण भाषा में अभिव्यक्त हैं और यदि खण्ड (6) के समान अर्हक उपबंध न होता तो इस प्रकार प्रदत्त किया गया अधिकार एक आत्यंतिक अधिकार होता। उन व्यक्तियों के लिए, जिनको यह अधिकार है, कोई भी निर्बन्धन कष्टदायक होगा और उनके द्वारा उसे अयुक्तियुक्त रूप में समझा जाएगा। किन्तु यह प्रश्न उस आधार पर विनिश्चित नहीं किया जा सकता। न्यायालय को जो कुछ करना है वह इस बात पर विचार करना है कि क्या अधिरोपित निर्बन्धन आम जनता के हित में युक्तियुक्त है। **मद्रास राज्य बनाम वी० जी० राव**[1]

---

[1] [1952] एस० सी० आर० 597.

वाले मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित निर्बन्धनों में युक्तियुक्तता की कसौटी अधिकथित की थी—

> "इस संदर्भ में इस बात को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि जहां कहीं भी विहित किया गया हो, युक्तियुक्तता की कसौटी प्रत्येक आक्षेपित कानून को लागू की जानी चाहिए और युक्तियुक्तता का कोई अमूर्त मानक या सामान्य पैटर्न (पद्धति) सभी मामलों को लागू होने के रूप में अधिकथित नहीं की जा सकती। अतिलंघन किए गए अभिकथित अधिकार की प्रकृति, अधिरोपित निर्बन्धनों का निहित प्रयोजन, उसके द्वारा उपचार की जाने वाली ईप्सित बुराई का विस्तार और अत्यावश्यकता, अधिरोपण का अननुपात, उस समय प्रचलित स्थितियां, सभी न्यायिक निर्णय में आनी चाहिएं।"

18. प्रस्तुत मामले में म्युनिसिपल कमिश्नर को उन दिवसों और कार्य के घण्टों को नियत करने की स्वतंत्रता थी जिसके दौरान कोई बूचड़खाना उपयोग के लिए खुला रहना चाहिए। यदि म्युनिसिपल कमिश्नर नगर के बूचड़खाने में कार्य करने वाले म्युनिसिपल स्टाफ को प्रसुविधाओं को देने के लिए बूचड़खाने के लिए अवकाशों के रूप में कतिपय दिवसों की घोषणा करता है तो ऐसे स्थायी आदेश के लिए कोई आपत्ति नहीं कर सकता। प्रस्तुत मामले में याची-प्रत्यर्थी की शिकायत इस आधार पर है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ने स्थायी आदेशों द्वारा महात्मा गांधी, भगवान महावीर, श्रीराम और भगवान कृष्ण से संबद्ध दिवसों को छुट्टियों के रूप में घोषित किया था। महात्मा गांधी और भगवान महावीर अहिंसा के दूत थे जो उसी के लिए जिए और उसी के लिए मरे। महात्मा गांधी को अहिंसा के दूत के रूप में और राष्ट्रपिता के रूप में भारत के लोगों द्वारा पूजा जाता है। महावीर ने अहिंसा का प्रचार और उसका प्रसार किया और आज भी गुजरात राज्य में उसके बहुत अनुयायी हैं। राम और कृष्ण हिन्दुओं के पूज्य हैं और लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग द्वारा पूजे जाते हैं। उनके द्वारा राम को सभी गुणों और सभी उन वस्तुओं, जोकि मानवता की भलाई के लिए हैं, का अवतार समझा जाता है। कृष्ण को गीता के दर्शन के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। उनके जन्म-दिवसों को लोगों द्वारा हर्षोल्लास के दिवसों के रूप में ही नहीं मनाया जाता बल्कि मांस से दूर रहने के दिवसों के रूप में भी मनाया जाता है। अतः कोई यह परिवाद नहीं कर सकता कि ये दिन अवकाश के रूप में गलत रूप से चुने गए हैं।

19. "आम जनता के हित में" अभिव्यक्ति का व्यापक अर्थ है जिसके अंतर्गत लोक व्यवस्था, लोक स्वास्थ्य, लोक सुरक्षा, सदाचार, समुदाय का आर्थिक कल्याण और संविधान के भाग 4 में उल्लिखित उद्देश्य आते हैं। कोई भी आधारभूत ऐसी सुख-सुविधाओं का उपबंध करने वाली विधि के रूप में विवाद नहीं कर सकता जोकि मानव श्रम की महत्ता के लिए हैं जैसे कैंटीन, विश्राम-गृह, पेय जल, शौचालय और मूत्रालय आदि के लिए उपबंध, आम जनता के हित में एक सामाजिक कल्याण के उपाय हैं। इसी प्रकार से श्रमिक वर्ग के लिए मजदूरी, काम करने की शर्तें या अन्य सुख-सुविधाओं से संबद्ध विधान और अधिसूचनाओं की बाबत न्यायालयों ने एक उदार दृष्टिकोण अपनाया है और कर्मकारों का हित उस कठिनाई के होते हुए भी जो नियोजकों द्वारा कारित की जा सकती है, कर्मकारों के हित की सुरक्षा की गई है। अतः संबद्ध विधानमण्डल या प्राधिकारी को म्युनिसिपल बूचड़खाने में कार्यरत म्युनिसिपल स्टाफ के लिए उचित अवकाशों को सुनिश्चित करने के लिए और वर्ष में कतिपय बन्द दिवसों का उपबंध करने के लिए स्वतंत्रता थी। उच्च न्यायालय की मताभिव्यक्तियों के अनुसार भी किसी को धारा 466(1)(डी)(बी) के अधीन म्युनिसिपल कमिश्नर द्वारा जारी किए गए स्थायी आदेशों के बारे में कोई आपत्ति नहीं हो सकती यदि म्युनिसिपल बूचड़खाने में कार्यरत म्युनिसिपल स्टाफ के लिए उचित अवकाशों को सुनिश्चित करने के लिए कतिपय दिवसों को बन्द किए गए थे। एकमात्र आक्षेप यह था कि स्थायी आदेश बूचड़खानों को जन्माष्टमी, जैन सांवतसरी, 2 अक्तूबर (महात्मा गांधीजी का जन्म-दिवस), 12 फरवरी (महात्मा गांधी का श्राद्ध दिवस), 30 जनवरी (महात्मा गांधी का निर्वाण दिवस), महावीर जयन्ती और रामनवमी को बन्द का निदेश देते हैं। इन दिवसों को नगर निगम बूचड़-खानों के लिए स्थायी आदेशों के अधीन अवकाश के रूप में घोषित किया गया था।

20. युक्तियुक्तता की कसौटियों को उन विवाद्यकों के संदर्भ में देखा जाना है जोकि विधानमण्डल के सामने आते हैं। ऐसी विधियों के अर्थान्वयन में और उनकी विधिमान्यता का निर्णय करने में न्यायालयों को उस सामाजिक हित को अग्रसर करने की दृष्टि से समस्या को देखना चाहिए जिसको प्रोत्साहन देने के लिए विधान का प्रयोजन है। इन मामलों में वह हवा में ही काम नहीं करते बल्कि उस समाज के भाग के रूप में हैं जोकि अधिनियमित विधि द्वारा उसकी समस्याओं को सुलझाने के लिए और संपूर्ण समुदाय की नैतिक और आर्थिक उन्नति को अग्रसर करने के लिए है। (देखिए ज्योति

1986(4) eILR(PAT) SC 1

प्रसाद बनाम दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र[1])। यदि "आम जनता के हित में" अभिव्यक्ति का इतना व्यापक अर्थ है जिसके अंतर्गत लोक व्यवस्था, लोक सुरक्षा और लोक सदाचार आते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता कि सात दिवसों को बूचड़खानों के बन्द रखने के लिए स्थायी आदेश आम जनता के हित में नहीं हैं।

21. उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए तैयार नहीं हैं कि दो स्थायी आदेशों में विनिर्दिष्ट सात दिवसों को बूचड़खाने का बन्द रहना किसी भी रूप में संविधान के अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन याची-प्रत्यर्थी को गारंटीकृत मूल अधिकार पर अयुक्तियुक्त निर्बन्धन लगाते हैं।

22. इसके पश्चात् हम प्रत्यर्थी की ओर से दी गई द्वितीय दलील पर विचार करते हैं जोकि संविधान के अनुच्छेद 14 पर आधारित है। उच्च न्यायालय ने विधिमान्य कारण से इस दलील को अभिखण्डित किया था जिसके साथ हम पूर्णतः सहमत हैं।

23. अब यह सुस्थापित है कि जबकि अनुच्छेद 14, वर्ग विधान को रोकता है, फिर भी यह विधान के प्रयोजनों के लिए युक्तियुक्त वर्गीकरण को नहीं रोकता और यह कि अनुज्ञेय वर्गीकरण की कसौटी को पारित करने के लिए दो शर्तें अवश्य पूरी की जानी चाहिएं, अर्थात् (i) वर्गीकरण एक सुबोधगम्य अंतर पर आधारित होना चाहिए जोकि उन व्यक्तियों या वस्तुओं में प्रभेद करता है जोकि अन्य ग्रुपों से अलग एक ग्रुप के साथ रखी जाती हैं और (ii) ऐसे अंतर का प्रश्नगत कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ईप्सित उद्देश्य के साथ युक्तिमूलक संबंध होना चाहिए। वर्गीकरण भिन्न आधार पर भी आधारित हो सकता है अर्थात् भौगोलिक या उद्देश्यों या वृत्तियों के अनुसार या इसी के समान और जो कुछ आवश्यक है वह यह है कि वर्गीकरण के आधार और विचाराधीन अधिनियम के उद्देश्य के बीच संबंध होना चाहिए। किसी अधिनियमिति की सांविधानिकता के पक्ष में हमेशा एक उपधारणा रहती है और यह दर्शाने के लिए उस व्यक्ति पर भार होता है जो उसे चुनौती देता है कि सांविधानिक सिद्धांतों का स्पष्ट अतिक्रमण हुआ है। न्यायालयों को अनिवार्यतः यह उपधारणा करनी चाहिए कि विधानमण्डल अपने लोगों की आवश्यकताओं को समझता है और ठीक प्रकार से उनको देखता है और यह कि उसकी विधियां अनुभव द्वारा स्पष्ट की गई समस्याओं के लिए निदेशित

[1] [1961] एस० सी० आर० 1601.

हैं और यह कि इसका विभेद पर्याप्त आधारों पर आधारित है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि विधानमण्डल अपहानि की श्रेणियों को मान्यता देने के लिए स्वतंत्र है और वह निर्बन्धनों को उन मामलों तक ही सीमित रख सकता है जहां स्पष्टत: आवश्यकता समझी जाती है और अंतत: सांविधानिकता की उपधारणा को कायम रखने के लिए न्यायालय सामान्य ज्ञान के मामलों, सामान्य संबंध के मामलों, पूर्व इतिहास पर बिचार कर सकता है और उन सब तथ्यों की प्रत्येक स्थिति की धारणा कर सकता है जोकि विधान के समय विद्यमान थी।

24. आक्षेपित स्थायी आदेशों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ईप्सित उद्देश्य पशुधन के परिरक्षण, सुरक्षा और सुधार के लिए हैं। गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े निस्संदेह इस देश की कृषि संबंधी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण पशु हैं। भैंसें बहुत अधिक दूध देती हैं और इसलिए उनकी अच्छी देखभाल की जाती है और उन्हें इतनी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है जितनी कि गायों के लिए है क्योंकि गाय कम मात्रा में दूध देती हैं। वाहक पशुओं के रूप में नर भैंस इतने उपयोगी नहीं है जितने कि बैल। भेड़ और बकरी, गायों और भैंसों की तुलना में बहुत कम दूध देती हैं और वाहक पशुओं के रूप में उनकी व्यावहारिक रूप से कोई उपयोगिता नहीं है। चूंकि पशुओं के भिन्न प्रवर्गों को समाज के लिए उनकी उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण करने पर पृथक् समूहों में रखा जाता है इसलिए वे कसाई (वधिक) जो प्रत्येक प्रवर्ग के पशुओं का वध करते हैं, भी उनकी अपनी-अपनी उपजीविकाओं को चलाने के लिए समाज पर पड़ने वाले प्रभाव के अनुसार भिन्न वर्गों में रखा जा सकता है। उन वधिकों का, जो पशुओं का वध करते हैं, अपनी उपजीविका के आधार पर एक सुपरिभाषित वर्ग है। वह वर्गीकरण एक सुबोधगम्य अंतर और प्रभेद पर आधारित है जोकि उनको अलग करता है जो बकरियों और भेड़ों का वध करते हैं और इस अंतर का आक्षेपित अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले ईप्सित उद्देश्य के साथ घनिष्ठ संबंध है अर्थात् हमारे पशुधन का परिरक्षण, सुरक्षा और सुधार। इन उद्देश्यों की प्राप्ति से यह आवश्यक हो सकता है कि पशुओं का वध करने वालों को भेड़ और बकरियों के वध करने वालों से भिन्न रूप में समझा जाना चाहिए। अत: हमारी राय में स्थायी आदेशों में उचित और बोधगम्य आधार पर आधारित वर्गीकरण को अपनाया गया है और वे अधिकथित उपर्युक्त कसौटी पर बिल्कुल पूरे उतरते हैं।

1986(4) eILR(PAT) SC 1

25. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए अपील सफल होनी चाहिए। तद्नुसार यह मंजूर की जाती है। उच्च न्यायालय के तारीख 3 मार्च, 1970 के निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं और प्रत्यर्थियों द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई रिट याचिका खर्चे सहित खारिज की जाती है।

अपील मंजर की गई।

चन्द